(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार इस क्रियाविधि में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन प्रस्तावित संशोधनों में पारदर्शिता तथा छोटे निवेशकों को प्राथमिकता देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : : (क) से (ग) जी, नहीं। वित्तअधिनियम 1993-94 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में शेयरों के विनिवेश के माध्यम से सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए के संग्रहण की परिकल्पना की गई थी । तथापि, सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान सरकारी शेयरों की बिक्री के माध्यम से कोई संग्रहण नहीं किया गया । 1993-94 में हुई एक नीलामी के संबंध में 1994-95 में 2282.10 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई थी ।

(घ) से (च) सरकारी शेयरों का विनिवेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है । जहां कहीं शेयर नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं, सरकार निजी निवेशकों सहित सभी पात्र व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित करती है । छोटे निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर भागीदारी को सुकर बनाने के लिए न्यूनतम बोली मूल्य 100 शेयर अथवा 25000 रुपए जो भी अधिक हो, रखा जाता है ।

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन

4385. श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है यदि हां, तो क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन में फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर राशि के संबंध में कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह आंकड़ा क्या है तथा फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर राशि का आंकड़ा प्राप्त होने उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उक्त राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने संबंधित फिल्मी सितारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं एवं अब तक कितने फिल्मी सितारों से आयकर प्राप्त हो चुका हैं और कितने फिल्मी सितारों से आयकर वसूल किया जाना शेष है ; और

(ग) यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं तथा मध्यवर्गीय आयकर दाता, सरकारी/गैर-सरकारी आयकरदाताओं के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्यप्रणाली से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति--इसकी लोक सभा-को 10वीं रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है जिसे लोक सभा में पेश किया गया था और 14-2-1995 को इसे राज्य सभा में भी रखा गया था। परन्तु, समिति ने फिल्मी सितारों की तरफ आयकर की बकाया धनराशि के बारे में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Indo-Japanese Economic Cooperation

4386. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are to receive Japanese credit for reforms under the Indo-Japanese economic cooperation;

(b) if so, what are the details thereof stating the conditionalities of the Japanese credit; and

(c) the reform areas for which the Japanese aid is proposed to be utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

News item captioned "Car-Laden Ship in the Dock"

4387. SHRI GAYA SINGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "A fire-signed, Carladen ship in the dock" appearing in 'Indian Express' dated March 10, 1995; and

(b) if so, the details and what action has been taken by the customs authorities on the consignment of 3100 cars abroad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Government are aware of the news item referred to in the Question. A ship called 'Magnolia Ade' carrying a cargo of approximately 3900 motor vehicles while on voyage from Japan to Europe caught fire off the coast of Sri Lanka and was brought to Alang Ship breaking yard Bhavnagar. Since importation of mito vehicles and parts thereof without a proper import licence is an offence under the Customs Act 1962, the ship alongwith its cargo was seized on 14.3.95. Further investigation in the case are under progress.

Concession to sick P.S.Us.

4388. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

SHRI KANAKSINH MOHAN SINH MANGROLA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines to Public Sector Banks and financial institutions for providing loan/concessions to the public sector sick units referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether public sector banks and financial institutions are complying with the said guidelines; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) has issued on 10th October 1994 guidelines to all scheduled commercial banks/financial institutions regarding extension of reliefs/concessions under rehabilitation packages evolved for sick public sector undertakings, (PSUs) considered as potentially viable. As there are certain features distinguishing a PSU from a joint/private sector non-SSI industrial unit, these guidelines contain additional parameters with regard to promoters' contribution, sale of surplus land and requirement of security. All other operative instructions/guidelines on rehabilitation in respect of non-SSI sick/weak industrial units apply to sick but potentially viable PSUs.

(c) and (d) RBI has reported that industrial units including PSUs may not insist that the guidelines on ex-